## न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 10/2018

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, बीकानेर। हाल– खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री सनी खत्री पुत्र श्री किशनलाल खत्री(विक्रेता मालिक) मैसर्स श्री सांई डिपार्टमेंटल, 5 डी 156, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर– निवासी 1 डी–85 जे.एन.वी.कॉलोनी, बीकानेर

अप्रार्थी

*प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011*

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री बृजरतन व्यास अधिवक्ता

### –: निर्णय :–

दिनांक 07.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.02.2018 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स श्री सांई डिपार्टमेंटल, 5 डी 156, जे.एन.वी. कॉलोनी बीकानेर (विक्रेता मालिक) श्री सनी खत्री पुत्र श्री किशनलाल खत्री के यहां दुकान के निरीक्षण दौरान 10 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक पोली पैक्ड 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक लाल मिर्च पाउडर प्रत्येक 500 ग्राम की चार पोली पैक्ड नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 300/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–971 अंकित कर नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। क्रय की गई 4 पोली पैक्ड थैलियों को चार प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बे पर गौंद से चिपकाया तथा प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बे को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार उक्त पैकेटों को सील चपड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट क्रमांक LS./381/Act/ 2018/476 दिनांक 22.03.2018

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

उसने पढ़ाई करने के बाद रोजगार न मिलने पर छोटी रकम से अपने घर के प्लाट पर दुकान बनाकर व्यापार किया है। अप्रार्थी अपनी दुकान से मिर्च मसाले, साबी खद्य सामग्री, घरेलू उपयोग के सारे सामान विक्रय करता है। फूड लाईसेंस, नगर निगम का लाईसेंस, जीएसटी नम्बर वगैरा समस्त लाईसेंस ले रखा है। अप्रार्थी स्वयं साबूत मिर्च क्रय करता है साफ करके अपनी देखरेख में पिसवाता है। ग्राहकों की सुविधा हेतु पाव, आधा किलो, 100 ग्राम की थैलियां में मसाले भकर रखे जाते है, जो दैनिक ग्राहक को देने में सुविधा हो।मिर्च वाउडर बिखरे नहीं । अप्रार्थी हमेशा पैकेट में मिच पाउडर नहीं रखता है बल्कि ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पैकेट रखता है। मिर्च इस कारण एडलट्रेट नहीं है। अप्रार्थी भविष्य में पैक्ड करके थैली पर स्टीगर लगा देगा। अप्रार्थी को उक्त कानून की अनभिज्ञता थी इसी कारण ग्राहक को दिये जाने वाले मिर्च पाउडर पाउच पर स्टीगर मात्रा, डेट ऑफ मेन्यूफेक्चर व डेट ऑफ एक्सपायर तथा मानव खाद्य योग्य का चिन्ह नहीं लगा सका। ऐसे में मिसब्राण्ड का गलत आरोप लगाया गया है। जांच में मिर्च पाउडर को मानव के खाने योग्य माना है इससे मानव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना पाया है। अतः सहांनुभूति पूर्वक अप्रार्थी के विरूद्ध पेश शुदा परिवाद ड्रोप फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता के आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSSAI की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करते है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन के समस्त कार्य क्षैत्र के लिए अधिसूचित एवं अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, जो बीकानेर के अधीन है। जांच की प्रयोगशाला FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं जांच के लिए अधिकृत है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर विक्रय करने के लिए एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार इनके विरूद्ध सख्त जुर्माने की कार्यवाही की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड लाल मिर्च पाउडर की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गय खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड लाल मिर्च पाउडर मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./381/Act/ 2018/476 दिनांक 22.03.2018 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Lal Mirch Powder bearing Code No. and Sr. No. AB-971 Misbranded Food under section

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1 & 2.2.2 of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत रू. 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

( एस.एच.गौरी )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner